उत्तर प्रदेश सरकार

सूचना अनुभाग–1

संख्या–389 / उन्नीस–1–2003–167 / 92

लखनऊ :: दिनांक 25.02.2003

अधिसूचना

–प्रकीर्ण–

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय प समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश सूचना एवं ज सम्पर्क विभाग मुख्यालय तकनीकी सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा के शर्तों क विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तर प्रदेश सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग मुख्यालय तकनीकी सेवा नियमावली, 2003

भाग–एक सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1.	(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग मुख्यालय तकनीकी सेवा नियमावली, 2003 कही जायेगी। (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
सेवा की प्रास्थिति	2.	उत्तर प्रदेश सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग मुख्यालय तकनीकी सेवा में समूह 'ख' और समूह 'ग' के पद समाविष्ट हैं।
परिभाषाएं	3.	जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस नियमावली में :– (क) 'अधिनियम' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है; (ख) 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य निदेशक से है ; (ग) ' भारत का नागरिक' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समक्षा जाये (घ) ' आयोग' का तात्पर्य लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश से है ; (ङ) ' संविधान' का तात्पर्य "भारत का संविधान" से है ; (च) 'निदेशक' का तात्पर्य "निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क, उत्तर प्रदेश" से है ; (छ) ' सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है ; (ज) ' राज्यपाल' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

(झ) ' सेवा का सदस्य' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग मे किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है ;

(ञ) 'नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों ' का तात्पर्य समय–समय पर यथासंशोधित, अधिनियम की अनुसूची–एक में विर्निदिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है ;

(ट) ' सेवा का तात्पर्य' उत्तर प्रदेश सूचना एवं जन संपर्क विभाग मुख्यालय तकनीकी सेवा से है।

(ठ) ' मौलिक नियुक्ति का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा यथासमय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो ;

(ड) ' भर्ती का वर्ष' का तात्पर्य किसी कैलण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है ;

भाग दो– सवंर्ग

सेवा का संवर्ग

4. (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक कि उप नियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायं सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी परिशिष्ट में दी गयी है ;

परन्तु :–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड़ सकता है या श्री राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा, या

(दो) श्री राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों की सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

भाग तीन– भर्ती

भर्ती का स्रोत

5. सेवा के विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :–

(1) सहायक टेलीविजन

(एक) पचास प्रतिशित आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

अभियन्ता		द्वारा। (दो) पचास प्रतिशित मौलिक रूप से नियुक्त अवर टेलीविजन अभियन्ताओं में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में, पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
(2) अवर टेलीविजन अभियन्ता		(एक) पचास प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। (दो) पचास प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त टेलीविजन टेकनीशियन में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में, पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
(3) टेलीविजन टेकनीशियन		चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।
(4) साउण्ड मैकेनिक		(एक) पचास प्रतिशत चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। (दो) पचास प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त साउण्ड रिकार्डिस्ट में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में, पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
(5) साउण्ड रिकार्डिस्ट		चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।
(6) प्रशासक एवं भण्डार क्रय अधिकारी		मौलिक रूप से नियुक्त अवर अभियन्ताओं और टेक्नीकल सुपरवाइजर में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में, पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा।
(7) अवर अभियन्ता		आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।
(8) टेक्निकल सुपरवाइजर		आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।
(9) चीफ आर्टिस्ट कम विजुलाइजर		मौलिक रूप से नियुक्त आर्टिस्ट में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में, पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा।
(10) आर्टिस्ट		आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।
आरक्षण	6.	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के लिये आरक्षण, समय–समय पर यथा संशोधित अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग चार– अर्हताएं

राष्ट्रीयता	7.	सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक कि अभ्यर्थी ;

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

(क) भारत का नागरिक हो ; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो ; या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगाण्डा या यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तागानिका और जंजीबार) के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवजन किया हो ;

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लें ;

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें।

टिप्पणी — ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षिक अर्हताएं — 8 सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएं होनी आवश्यक हैं :–

पद	**अर्हता:–**
(1) सहायक टेलीविजन अभियन्ता	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रानिक्स अभियंत्रण में उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।
(2) अवर टेलीविजन अभियन्ता	(एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण होना चाहिए।
	(दो) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से इलेक्ट्रानिक्स अभियंत्रण में डिप्लोमा या सरकार द्वारा

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

		उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।
(3) टेलीविजन टेकनीशियन	(एक)	माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण होना चाहिए।
	(दो)	सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से टेलीविजन अभियंत्रण में डिप्लोमा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से टेलीविजन व्यवसाय में प्रमाण पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता के साथ सम्बंधित क्षेत्र में तीन वर्ष के अनुभव के साथ कोई अर्हता।
(4) साउण्ड मैकेनिक	(एक)	माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
	(दो)	सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से इलेक्ट्रानिक अभियंत्रण में डिप्लोमा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से इलेक्ट्रानिक्स व्यवसाय में प्रमाण पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता और इलेक्ट्रानिक्स उपस्करों के संचालन और रख–रखाव के सम्बंध में तीन वर्ष का अनुभव।
(5) साउण्ड रिकार्डिस्ट	(एक)	माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
	(दो)	सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से इलेक्ट्रानिक्स व्यवसाय में प्रमाण पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।
	(तीन)	इलेक्ट्रानिक उपस्करों के संचालन और रख–रखाव के सम्बंध में दो वर्ष का अुनभव।
(6) टेकनिकल सुपरवाइजर	(एक)	माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्ष या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
	(दो)	सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से आटोमोबाइल अभियंत्रण में डिप्लोमा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।
(7) अवर अभियंता	(एक)	माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
	(दो)	सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

		आटोमोबाइल अभियंत्रण में डिप्लोमा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।
(8) आर्टिस्ट	(एक)	माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
	(दो)	सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से वाणिज्य कला या फाइन आर्ट् में उपाधि या डिप्लोमा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।
	(तीन)	सम्बंधित क्षेत्र में दो वर्ष का व्यवहारिक अनुभव।
अधिमानी अर्हताएं	9	अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने :— (एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।
आयु	10.	सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें रिक्तियां विज्ञापित की जाय पहली जुलाई को नीचे दी गयी सारणी में पद के सम्मुख विनिर्दिष्ट न्यूनतम आयु प्राप्त कर ली हो और अधिकतम से अधिक आयु प्राप्त न की हो :—

क्र0 सं0	पद का नाम	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु
1.	टेलीविजन टेक्नीशियन	18 वर्ष	35 वर्ष
2.	साउण्ड मैकेनिक	18 वर्ष	35 वर्ष
3.	साउण्ड रिकार्डिस्ट	18 वर्ष	35 वर्ष
4.	सहायक टेलीविजन अभियन्ता	21 वर्ष	35 वर्ष
5.	अवर टेलीविजन अभियन्ता	21 वर्ष	35 वर्ष
6.	टेक्नीकल सुपरवाइजर	21 वर्ष	35 वर्ष
7.	अवर अभियन्ता	21 वर्ष	35 वर्ष
8.	आर्टिस्ट	21 वर्ष	35 वर्ष

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जायं, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाये।

चरित्र	11	सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्त प्राधिकारी इस सम्बधं में अपना समाधान कर लेगा।

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

टिप्पणी

संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पर पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति

12. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो :

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

शारीरिक स्वस्थता

13. किसी अभ्यर्थी को सेवा मे किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे :

(क) सेवा में किसी राजपत्रित पद की दशा में किसी चिकित्सा परिषद की परीक्षा उत्तीर्ण करने।

(ख) सेवा में अन्य पदों की दशा में फाइनेंन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये फण्डामेन्टल रूल 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी।

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भाग पांच– भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण

14. नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। आयोग के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियां आयोग को सूचित की जायेगी।

चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

		रीति में अधिसूचित की जायेंगी : (एक) व्यापक परिचालन रखने वाले दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन देकर ; (दो) कार्यालय के सूचना पट पर सूचना चिपकाकर या रेडियो/ दूरदर्शन और अन्य रोजगार समाचार पत्र के माध्यम से विज्ञापन द्वारा, और (तीन) रोजगार कार्यालय को रिक्तियां अधिसूचित करके।
सहायक टेलीविजन अभियन्ता, अवर टेलीविजन अभियन्ता, अवर अभियन्ता, टेक्नीकल सुपरवाइजर और आर्टिस्ट के पदों के लिए आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की प्रक्रिया	15.	(1) प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिए आवेदन पत्र आयोग द्वारा विज्ञापन में प्रकाशित आयोग द्वारा जारी प्रपत्र में आमंत्रित किये जायेंगे। (2) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश–पत्र न हो। (3) लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त हो जाने और सारणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात् आयोग नियम–6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर उतने अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये बुलायेगा जो इस सम्बंध में आयोग द्वारा निर्धारित स्तर तक पहुँच सके हों। साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंको को लिखित परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त अंकों में जोड़ दिया जायेगा। (4) आयोग अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम में जैसा कि लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को जितनी वह नियुक्ति के लिये उचित समझे, संस्तुत करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग के बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो आयोग की सामान्य नीति के अनुसार अभ्यर्थियों के नाम क्रमांकित किये जायेंगे। आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।
सहायक टेलीविजन अभियन्ता और अवर टेलीविजन अभियन्ता के पदों के लिये आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया	16.	सहायक टेलीविजन अभियन्ता और अवर टेलीविजन अभियन्ता के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर समय–समय पर यथा संशोधित, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया), नियमावली, 1970 के अनुसार की जायेगी।
चयन समिति के माध्यम से	17.	(1) टेलीविजन टेक्नीशियन, साउण्ड मैकेनिक और

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

टेलीविजन टेकनीशियन, साउण्ड मैकेनिक और साउण्ड रिकार्डिस्ट के पदों के लिए सीधी भर्ती की प्रक्रिया

साउण्ड रिकार्डिस्ट के पदो पर सीधी भर्ती के प्रयोजन के लिए एक चयन समिति गठित की जायेगी। जिसमें निम्नलिखित होंगे :–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी....................................अध्यक्ष।

(दो) यदि अध्यक्ष अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो तो अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई अधिकारी। यदि अध्यक्ष अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो अध्यक्ष द्वारा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों से भिन्न कोई अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायेगा................सदस्य।

(तीन) यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्गों का न हो तो अध्यक्ष द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों का कोई अधिकारी नाम–निर्दिष्ट किया जायेगा। यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्गों का हो तो अध्यक्ष द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से भिन्न कोई अधिकारी नाम–निर्दिष्ट किया जायेगा....... सदस्य।

(चार) पद, जिसके लिये भर्ती की जानी हो, की अपेक्षाओं के अनुसार सम्बंधित क्षेत्र में पर्याप्त ज्ञान रखने वाला कोई अधिकारी, अध्यक्ष द्वारा नाम–निर्दिष्ट किया जायेगा............सदस्य।

(2) चयन समिति आवेदन पत्रों की संवीक्षा करेगी और पात्र अभ्यर्थियों से एक प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा करेगी।

(3) लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किये गये अंकों को सारिणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात् चयन समिति नियम–6 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जैसा कि लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो, अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम में एक सूची तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को सूची में, उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा, चयन समिति सूची को नियुक्त प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

चयन समिति के माध्यम से साउण्ड मैकेनिक, प्रशासक एवं भण्डार क्रय अधिकारी और चीफ आर्टिस्ट कम विजुलाइजर के पदों के लिए पदोन्नति द्वारा भर्ती की

18. (1) साउण्ड मैकेनिक, प्रशासक एवं भण्डार क्रय अधिकारी और चीफ आर्टिस्ट कम विजुलाइजर के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर समय–समय पर यथासंशोधित, उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

प्रक्रिया		लिए) नियमावली, 1992 के उपबंधों के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी।
		टिप्पणी : चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व देने के लिए अधिकारियों का नाम–निर्देशन समय–समय पर यथासंशोधित, अधिनियम की धारा–7 के अधीन दिये गये आदेशों के अनुसार किया जायेगा। (2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियां समय–समय पर यथासंशोधित, उत्तर प्रदेश (लोक सेवा ओयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायें, चयन समिति के समक्ष रखेगा : परन्तु जहां दो या अधिक पोषक संवर्ग हों :– (क) भिन्न–भिन्न वेतनमान होने पर उच्च वेतनमान वाले संवर्ग के अभ्यर्थियों को पात्रता सूची में ऊपर रखा जायगा। (ख) समान वेतनमान होने पर अभ्यर्थियों के नाम उनके अपने–अपने संवर्ग में मौलिक नियुक्ति के दिनांक के क्रम में पात्रता सूची में रखे जायेंगे। किन्तु यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों की मौलिक नियुक्ति का एक ही दिनांक हो तो ऐसी स्थिति में अधिक आयु के अभ्यर्थी का नाम पात्रता सूची में ऊपर रखा जायेगा। (3) चयन समिति उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझें तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है। (4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में, जैसी उस संवर्ग में हो, जिससे उनकी पदोन्नति की जानी है, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्त प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।
संयुक्त चयन सूची	19.	यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाये तो एक संयुक्त सूची तैयार की जायेगी, जिसमें सुसंगत सूचियों से अभ्यर्थियों के नाम इस रीति से लेकर रखे जायेंगे कि विहित प्रतिशत बना रहे, सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्ति व्यक्ति का होगा।

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

भाग–छः –नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

20. (1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर जिसमें यथास्थिति, नियम 15, 16, 17, 18 या 19 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्तियाँ करेगा।

(2) जहाँ भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जानी हों तो नियमित नियुक्तियाँ तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि दोनों स्रोतों से चयन न कर लिया जाये और नियम 19 के अनुसार एक संयुक्त सूची तैयार न कर ली जाये।

(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख ज्येष्ठताक्रम में किया जायेगा जैसी यथास्थिति चयन में अवधारित की जाय या जैसी कि उस संवर्ग में हो, जिससे उन्हें पदोन्नति किया जाय। यदि नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाती है तो नामों को नियम 19 में निर्दिष्ट क्रम के अनुसार रखा जायेगा।

परिवीक्षा

21. (1)सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2)नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा, जब तक अवधि बढ़ायी जाये :

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवाये समाप्त की जा

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

सकती हैं।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उप नियम(3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाये या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण 22 (1) उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि–

(क) उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक बताया जाय; और

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय।

(2) जहॉ, उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है, वहॉ उस नियमावली के नियम 5 के उप नियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति में परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

ज्येष्ठता 23 किसी श्रेणी के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग–सात–वेतन इत्यादि

वेतनमान 24 (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय के वेतनमान परिशिष्ट में दिये गये हैं।

परिवीक्षा अवधि में वेतन 25 (1) फण्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो और जहां विहित हो विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो।
(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पदधारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, सुसंगत फण्डामेण्टल रूल द्वारा विनियमित होगा।
(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग—आठ—अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन

26 किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किन्हीं सिफारिश पर चाहें लिखित हो या मौखिक विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

27 ऐसे विषयों के सम्बंध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यता लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होगें।

सेवा की शर्तो से शिथिलता

28 जहॉ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहॉ वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए, जिन्हे वह मामलें में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है;

परन्तु जहॉ कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो वहॉ उस नियम की अपेक्षाओं को अभिमुक्त या शिथिल करने के पूर्व उस निकाय से परामर्श किया जायेगा।

व्यावृत्ति

29 इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय—समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनूसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

आज्ञा से,
(रोहित नन्दन)
सचिव

परिशिष्ट
नियम 4 (2) और 24 (2) देखिये

क्र.सं.	पद का नाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थायी	अस्थायी	कुल	(रूपये)
1	2	3	4	5	6
1.	सहायक टेलीविजन अभियंता	—	2	2	6500—200—10500
2.	अवर टेलीविजन अभियंता	1	2	3	4500—125—7000
3.	टेलीविजन टेक्नीशियन	1	3	4	4000—100—6000
4.	साउण्ड मैकेनिक	3	—	3	4000—100—6000
5.	साउण्ड रिकार्डिस्ट	—	4	4	3050—75—3950—80—4590
6.	प्रशासक एंव भण्डार क्रय अधिकारी	1	—	1	6500—200—10500
7.	अवर अभियन्ता	1	—	1	4500—125—7000
8.	टेक्नीकल सुपरवाइजर	4	—	4	4500—125—7000
9.	चीफ आर्टिस्ट कम विजुलाइजर	1	—	1	6500—200—10500
10.	आर्टिस्ट	6	—	6	5000—150—8000

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com